भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 98

8 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

छठ घाटों का निर्माण

***98. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्माः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली में छठ घाटों के निर्माण में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और उनकी सुरक्षा और सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या छठ पूजा के दौरान सार्वजनिक उद्यानों के नियंत्रित उपयोग के लिए कोई नीति लागू है अथवा विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छठ पूजा के दौरान निर्दिष्ट छठ घाटों और सार्वजनिक स्थलों के समुचित उपयोग के बारे में नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

विवरण

"छठ घाटों के निर्माण" के संबंध में दिनांक 08.02.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 98* (18 वां स्थान) के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचित किया है कि प्राकृतिक जलाशयों के अलावा, जीएनसीटीडी के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा गड्ढे खोदकर अस्थायी जलाशय बनाए जाते हैं, जिन्हें उस समय दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए पानी से भर दिया जाता है। इनका उपयोग छठ पूजा समारोह के लिए छठ घाटों के रूप में किया जाता है। छठ पूजा समारोह से पहले, सभी हितधारकों अर्थात दिल्ली पुलिस, दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, जिला चिकित्सा प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के साथ राज्य स्तर और जिला स्तर पर समन्वय के लिए बैठकें बुलाई जाती हैं। इन स्थलों पर लोगों की सुरक्षा और सुगम्यता के लिए बाड़ लगाने और आने-जाने के लिए सीढ़ियों/रैंपों का निर्माण करने और साइन बोर्ड लगाने जैसे आवश्यक कार्य भी किए जाते हैं। इसके अलावा, दिल्ली में विभिन्न स्थानों/घाटों पर छठ पूजा के लिए राजस्व विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार टेंट की व्यवस्था करता है।

(ख) जीएनसीटीडी ने सूचित किया है कि ऐसी कोई नीति मौजूद नहीं है और न ही कोई नीति विचाराधीन है।

(ग) जीएनसीटीडी ने सूचित किया है कि छठ पूजा के दौरान निर्दिष्ट छठ घाटों और सार्वजनिक स्थानों के उचित उपयोग के लिए नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

- छठ घाटों पर और उसके आसपास लाउड स्पीकर, सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से नियमित घोषणा की जाती है।
- प्रमुख स्थलों पर क्या करें और क्या न करें के लिखे हुए बैनरों का प्रदर्शन।
- नागरिक निकायों, पुलिस, राजस्व विभाग के अधिकारियों और छठ पूजा समिति एवं रजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के स्वयंसेवकों/प्रतिनिधियों के माध्यम से नागरिकों में जागरूकता और संवेदनशीलता का प्रसार करना।

****